

भापाल (ए.) । कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक क्रूरतियों को रोकथाम
लिंग राज्य शासन द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नियम तकनीक
लिए चयन प्रतिष्ठानों अर्धनिष्पन्न 1994 एवं नियम 1996
पी.सी.पी.एन.डी.टी. एकट) का प्रभावी क्रिया-व्ययन सुनिश्चित किया जा
है। आमजन को जागरूक करने और अवैध लैंगिक चयन गतिविधियों
विरुद्ध सशक्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनरीक्षित
मुख्य पुरस्कार योजना-2021 संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत
वैध भ्रूण लिंग जांच, लिंग चयन अथवा संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों
को प्रत्यक्ष देखकर कार्रवाई में सहयोग करने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहन स्टि
ट्टाहन करने का प्रावधान किया गया है। सफल सूचना अथवा राशि
ऑपरेशन के आधार पर कार्रवाई होने एवं न्यायालय में अपराध सिद्ध होने
की स्थिति में कुल 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मुखबिर, डिक्
हिला, अभियोजन अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी और अन्य अधिकृत
रधिकों को नियमानुसार वितरित की जाती है। योजना में मुखबिर को
पर विधिक कार्रवाई होने की स्थिति में प्रथम किस्त के रूप में 1.25
लाख रुपये की राशि कोट में चालान प्रस्तुत होने पर तथा द्वितीय किस्त के
रूप में 75 हजार रुपये की राशि न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर प्रदान
किया जाएगा। इसी प्रकार सफल स्टिंग ऑपरेशन की स्थिति में मुखबिर,
डिक्की महिला एवं सहयोगियों को भी निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान किए
गए हैं। प्रवचन है। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एकट के प्रभावी प्रवर्तन के लिये
शासन द्वारा स्टिंग ऑपरेशन को महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपयोग किया
जा रहा है। अर्ध भ्रूण लिंग जांच एवं लिंग चयन गतिविधियों में संलग्न
रधिकों और संस्थाओं के विरुद्ध साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने
लिए डिक्की महिला एवं मुखबिरों के माध्यम से गोपनीय स्टिंग ऑपरेशन
चालित किए जाते हैं। सफल स्टिंग ऑपरेशन के स्तथापन उपरांत प्रथम
किस्त के रूप में कुल 1 लाख 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की
जाती है, जिसमें मुखबिर को 50 हजार रुपये, डिक्की महिला को 20 हजार
रुपये, सहयोगी को 10 हजार रुपये, जिला नोडल अधिकारी अथवा अन्य
धिकृत अधिकारी को 15 हजार रुपये तथा अभियोजन अधिकारी को 30
हजार रुपये दिए जाते हैं।

